कार्यालय कलेक्टर जिला दतिया (म.प्र)

क्रमांक/क्यू/स्टेनो/को.वा/2021 / 32 15-03-2021 दतिया दिनांक: 15/03/2021

\\आदेश\\

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत)

जिले में नोवल कोरोना बायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र कमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 13.03.2021 एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के पत्र क 894/18-2/2021 भोपाल दिनांक 12.03.2021 के निर्देशानुसार सम्पूर्ण दतिया जिले में निम्नानुसार प्रतिबन्ध अधिरोपित किये जाते है :-

1- जिले के समस्त क्षेत्रों मे दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जावे, साथ ही दुकानों / प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जावे । इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर संबंधित विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

2- नगरीय निकाय के वाहनों के माध्यम से कोरोना के प्रकरण में वृद्धि के परिपेक्ष्य में लाउडस्पीकर से शहर में अनिवार्यतः मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की सलाह सतत रूप से दी जाये ।

3- जिले में प्रत्येक ट्रेफिक चौराहों पर यथा-आवश्यकता लाउडस्पीकर से मास्क के उपयोग करने एवं सामाजिक दूरी के पालन करने के संबंध में उद्घोषणा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिओं के विरुद्ध आपदा-प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा (51 से 60), आई.पी.सी की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी |

यह आदेश सर्व-साधारण को संबोधित है और चूँकि इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण कराया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नहीं है अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है | इस आदेश की सूचना समाचार-पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य सूचना प्रसारण माध्यमो से प्रदाय कर जन-सामान्य को अवगत कराया जावे ।

यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।

(संजय कुमार)
कलेक्टर
जिला दतिया (म.प्र)

प्र. क्रमांक/क्यू/स्टेनो/को.वा/ 32-22

दतिया दिनांक 15/3/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय बल्लभ भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
6. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर।
7. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
8. पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन म.प्र की ओर सूचनार्थ।
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दतिया की ओर सूचनार्थ।
10. पुलिस अधीक्षक दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ थानों तथा संबंधित ट्रेफिक पुलिस अधिकारियों को तदाशय के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया।
12. अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट दतिया।
13. समस्त एसडीएम, जिला दतिया।
14. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला दतिया।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया।
16. सिविल सर्जन, दतिया।
17. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग दतिया।
18. जिला शिक्षा अधिकारी, दतिया।
19. जिला आबकारी अधिकारी, दतिया।
20. आर.टी.ओ दतिया।
21. संचालक, जन-संपर्क विभाग की ओर जिले से प्रकाशित सभी समाचार-पत्रों में नि:शुल्क प्रमुखता से प्रकाशनार्थ।
22. डी.आई.ओ, एन.आई.सी दतिया कि ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सर्व-संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराने हेतु।

कलेक्टर
जिला दतिया (म.प्र)